# षोडश

# बिहार विधान सभा

## त्रयोदश सत्र

## तारांकित प्रश्न

### वर्ग-1

सोमवार, तिथि 24 आषाढ़, 1941 (श०) / 15 जुलाई, 2019 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 80

| | | |
|---|---|---|
| (1) | गृह विभाग .. .. | 60 |
| (2) | सामान्य प्रशासन विभाग .. .. | 08 |
| (3) | गन्ना उद्योग विभाग .. .. | 01 |
| (4) | उद्योग विभाग .. .. | 06 |
| (5) | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग .. .. | 02 |
| (6) | वित्त विभाग .. .. | 03 |
| | कुल योग -- | 80 |

गिरफ्तार करना

'क'-*445. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बलरामपुर प्रखंड के ग्राम-रोशनगंज निवासी मो0-खुशदिल की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गयी थी जिसका बलरामपुर थाना में कांड संख्या 37/19, दिनांक 15 मार्च, 2019 दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कांड के नामजद मुख्य अभियुक्त संजीव मिश्रा का नाम आई0 ओ0 द्वारा केस से हटा दिया गया है जिसके चलते अभीतक संजीव मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त घटना के नामजद मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी कबतक कराने का विचार रखती है , नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

'ख'-*450. श्री शाहनवाज--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत पलासी प्रखंड बरबट्टा पंचायत के फरसाडांगी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1138. श्री शाहनवाज--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकिहाट प्रखंड के प्रसादपुर पंचायत के घोरमारा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1139. श्री फराज फातमी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अन्तर्गत रतौली ग्राम में कब्रिस्तान है, जिसका खाता संख्या 438, खेसरा 239 है एवं बरिओल कब्रिस्तान जिसका खाता संख्या 923, खेसरा 2361, 2364 एवं 2365 है, की घेराबंदी नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

शामिल कराना

*1140. श्री आलोक कुमार मेहता--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में वर्ष 2004 में निषाद जाति को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल कराने की अनुशंसा की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015 में सरकार द्वारा निषाद जाति को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल करने की अनुशंसा केन्द्र सरकार को भेजी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निषाद जाति को अनुसूचित जाति (SC) में शामिल कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

नोट--'क'-दिनांक 8 जुलाई, 2019 को सदन द्वारा स्थगित ।

'ख'-दिनांक 8 जुलाई, 2019 को सदन द्वारा स्थगित ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1141. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पटेढ़ी, बेलसर प्रखंड के सोरहथा पंचायत के सोरहथा में परती स्थान के निकट स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1142. श्री शाहनवाज--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत पलासी प्रखंड के मियाँपुर कब्रिस्तान एवं बड़ा मियाँपुर कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

थाना बनाना

*1143. श्री अशोक कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के नुआँव प्रखंड में सहायक थाना नुआँव है एवं उक्त थाना बिहार एवं उत्तर प्रदेश के सीमा पर स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सहायक थाना पूर्ण थाना बनने की सभी अर्हता पूरा करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहायक थाना नुआँव को पूर्ण थाना बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

अतिरिक्त भत्ता लेना

*1144. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 3450, दिनांक 2 दिसम्बर, 2006 के द्वारा राज्य के सभी विभागों में पाँच दिवसीय कार्य घोषित है, जिसके बदले बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय 1 जनवरी, 2007 से संयुक्त सचिव के निर्गत आदेश से शनिवार एवं रविवार को कार्यालय खोलकर कार्य करते हैं, जिसमें पदाधिकारी अतिरिक्त भत्ता लेते है, लेकिन कर्मचारी इससे वंचित रहते हैं, यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1145. श्री महेश्वर प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत बंदरा प्रखण्ड के पटशारा मुसलमान टोला में एक कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबंदी नहीं कि गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

छत्तेदार चबुतरा बनवाना

*1146. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत के वार्ड नं0 7 में श्मशान घाट की जमीन को अगल-बगल के जमीनवालों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्मशान घाट की चहारदीवारी एवं छतदार चबूतरा नहीं होने से अतिक्रमण के साथ ही खुले आसमान में लोगों को गर्मी एवं बरसात में शव का दाह संस्कार करना पड़ता है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर चहारदीवारी के साथ छत्तेदार चबुतरा बनवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

1147. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड स्थित विशंमपुर एवं ताजपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी की स्वीकृति 2 वर्ष पूर्व की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

गन्ना बीज उपलब्ध कराना

*1148. श्री लाल बाबू राम--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फपुर जिलान्तर्गत प्रखंड सकरा में उन्नत गन्ना बीज उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को गन्ना की खेती में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त किसानों को उन्नत किस्म का गन्ना बीज उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

छात्रावास निर्माण कराना

'अ'-*1149. श्री मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर प्रखण्ड में अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं है, जिसके कारण अल्पसंख्यक छात्रों को पठन-पाटन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार तारापुर प्रखण्ड में अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

नोट--'अ'-गृह विभाग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को स्थानांतरित ।

फायर स्टेशन की स्थापना

*1150. डॉ0 रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत सोनपुर विधान सभा क्षेत्र का दियर इलाका छितरनक, रमसापुर, तिवारी टोला, गरीपट्टी, बरियारचक, अकिलपुर, दूधिया बतरौली, रामदासचक, सहित अन्य गाँव चारों तरफ से गंगा नदी से घिरा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दियर इलाके में अगलगी पर काबू पाने के लिए दानापुर एवं सोनपुर से अग्निशामक की गाड़ियाँ जाती हैं, जिससे त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती है और अधिक मात्रा में जान-माल की क्षति हो जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दियर इलाके में अगलगी पर काबू पाने हेतु अकिलपुर में फायर स्टेशन की स्थापना का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

उद्योग स्थापित करना

*1151. श्रीमती पूनम देवी यादव--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को प्रकाशित ''मेगा फूड पार्क का उद्घाटन के लिए बिना ही लौटीं केन्द्रीय मंत्री, अनुदान भी रोका'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के खुटिया और गौड़ा शक्ति मौजे में स्थापित 105 बीघा किसान की जमीन वर्ष 1985 में उद्योग स्थापित करने हेतु बियाडा द्वारा अधिगृहीत किया गया, जिसे मक्का आधारित उद्योग लगाने हेतु प्रिस्टाईन लोजिटिक्स एंड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 कम्पनी को हस्तांतरित किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कम्पनी द्वारा घोर अनियमितता बरतने और नियमानुसार निर्माण नहीं होने के कारण खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, भारत सरकार के द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2018 को उद्घाटन नहीं किया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उद्योग विभाग के उपर्युक्त भू-खण्ड का अधिकृत प्रा0 लि0 कम्पनी से एकरारनामा रद्द कर मक्का आधारित उद्योग स्थापित करवाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

---

थाना की स्थापना

*1152. श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिला के मंदार पहाड़ पर पर्यटक थाना नहीं रहने के कारण आये दिन अप्रिय घटना घटित हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पहाड़ पर पर्यटक थाना की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1153. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखण्ड के पंचायत नदरपुर के ग्राम-गरबैया में एवं ग्राम-नदरपुर में गोड़ीआरी कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन का अधिग्रहण करना

*1154. श्री शम्भु नाथ यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला में ब्रहम्पुर प्रखंड में बगेन थाना प्राईवेट मकान में स्थापित है, थाना के लिये जमीन भी उपलब्ध है, लेकिन अजतक थाना का भवन का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार बगेन थाना के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कर्मियों का समायोजन करना

*1155. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के संकल्प सं० 52, दिनांक 14 मार्च, 2018 के आलोक के पंडौल की-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल्स लि०, पंडौल, मधुबनी की भूमि का अधिग्रहण इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने हेतु उद्योग विभाग द्वारा किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी के पत्रांक 349, दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 द्वारा पंडौल को-ओपरेटिव स्पीनिंग मिल्स लि०, के कर्मियों के समायोजन हेतु सूची प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वस्त्र निगम लि० पटना को भेजी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पंडौल को-ओपरेटिव स्पीनिंग मिल्स लि० के कर्मियों का समायोजन वित्त विभागीय संकल्प के आलोक में कबतक करने का विचार रखती है ?

--------

पद सृजन करना

*1156. श्री फराज फातमी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 720, दिनांक 23 फरवरी, 2017 के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू), बिहार, पटना को दरभंगा जिलान्तर्गत कमतौल में नये पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी का पद सृजन करने के संबंध में प्रस्ताव दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रस्तावित पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी पद के सृजन के लिये आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा, पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र दरभंगा एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक क्षेत्र दरभंगा से सहमति एवं अनुशंसा पत्र प्राप्त है । प्रस्तावित क्षेत्र के अंतर्गत 6 थाना एवं 5 प्रखंड का 958 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र समाहित है एवं इसकी कुल आबादी 1509053 है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दरभंगा जिला के कमतौल में नये पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी का पद सृजन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

छत्तेदार चबुतरा बनवाना

*1157. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के औराही पश्चिम पंचायत के सिमराहा बाजार से सटे श्मशान घाट की जमीन का चहारदीवारी नहीं रहने कारण लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्मशान घाट की चहारदीवारी एवं छतदार चबूतरा नहीं होने से अतिक्रमण के साथ ही खुले आसमान में लोगों को गर्मी एवं बरसात में शव का दाहसंस्कार करना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर चहारदीवारी की साथ छत्तेदार चबुतरा बनवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन देना

*1158. श्री (मो०) नेमतुल्लाह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आपातकाल के दौरान छः माह से अधिक मीसा बन्दी के रूप में जेल में बन्द व्यक्तियों को जे० पी० आंदोलन सम्मान पेंशन योजना के तहत दस हजार प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री सियाराम यादव पिता श्री रामबुझावन यादव, पता कचहरी रोड, मधुबनी, आपातकाल के दौरान मीसा बन्दी के रूप में कुल 21 माह जेल में बन्द रहे है, जो कारा विचाराधीन पंजी सं० 2280, दिनांक 29 सितम्बर, 1974 एवं पंजी सं० 2004, दिनांक 11 जुलाई, 1975 में दर्ज है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार श्री सियाराम यादव को कबतक जे० पी० आंदोलन सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1159. श्री अशोक कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत खानपुर प्रखंड के सुरौल ग्राम एवं वारिसनगर प्रखंड के नूरगंज स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से मवेशियों के प्रवेश एवं अन्य कारणों से लोग परेशान रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की प्राथमिकता के आधार पर घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

सरकारी जमीन को मुक्त कराना

*1160. श्री कुमार सर्वजीत--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत सदर प्रखंड के भदवा ग्राम में कुछ असामजिक तत्वों के द्वारा मोदी चौक के नाम पर अमडीहा स्कूल से सटे तीन बीघे जमीन पर शराब, गांजा एवं अन्य गैर-कानूनी समान का कारोबार कर अल्पसंख्यक समुदाय से मारपीट तथा लूटपाट कर दहशत फैलाया जा रहा है तथा सरकारी जमीन पर निजी व्यवसाय कर कब्जा जमाया जा रहा है, जबकि उन दोषी व्यक्तियों पर सदर थाना में काण्ड संख्या 112/95, 170/98, 321/02, 207/09, 417/16, 431/17, 460/18, 51/19 में केस दर्ज है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सरकारी जमीन को मुक्त कराते हुये, दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1161. श्री अलोक कुमार मेहता--क्या मंत्री, गृह, विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत उजियारपुर प्रखंड के ग्राम मालती शेख टोली का लगभग 2 एकड़ में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम मालती शेख टोली में कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1162. श्री भोला यादव--क्या मंत्री, गृह, विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत भेरोपट्टी मिल्कीचक (पंचायत दिलावरपुर) कब्रिस्तान एवं मिल्कीचक (पंचायत बाजितपुर) कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन पर चारों तरफ से कब्जा हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1163. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत गिधा औद्योगिक क्षेत्र में विष्णुविशाल पेपर मील, अमरपाली सिलेन्डर HPCL, IOCL गैस प्लांट सहित अन्य कई फैक्ट्रियाँ है जिसके गंदे पानी से पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले डस्ट से आमलोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है, जिससे कई लोगों की आखें खराब हो गया हैं किसानों की जमीन बंजर हो गया है एवं जल बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिलाधिकारी, भोजपुर एवं प्रमंडलीय आयुक्त से दिसम्बर, 2018 में इसकी शिकायत की गयी थी परंतु अबतक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो आम जनमानस को असुरक्षित जीवन प्रदान करने में सहयोग कर रही कम्पनियों के खिलाफ सरकार कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1164. श्री नन्द कुमार राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मोतीपुर प्रखंड अन्तर्गत बाँसघाट पंचायत के मदारपुर कब्रिस्तान एवं खीरू छपड़ा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, जिसके कारण दो समुदाय के बीच तनाव बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

भवन का निर्माण कराना

*1165. श्री सुरेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत हथौड़ी थाना का अपना भवन नहीं है, और वह निजी भवन में चल रहा है जो जर्जर हो चुका है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

थाना स्थापित करना

*1166. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत कोसी दियारा के पंचायतों यथा गढ़गाँव, बसीपट्टी, भरगामा, डारह, महपतिया, द्वलख का विधि व्यवस्था कार्य पेजा थाना से नियंत्रित होता है, जो अत्यधिक दूरी और दुर्गम यातायात के साधन के कारण कष्टप्रद हो जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित पंचायतों के बरियरबा गाँव जगदेव सल्हैता +2 उच्च विद्यालय के आसपास थाना स्थापित नहीं है, जिसके कारण विधि व्यवस्था दुरूस्त करने में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक बरियरबा में थाना की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवागमन सुचारू कराना

*1167. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड में सुरसंड टावर चौक से सुरसंड थाना की ओर आनेवाली मुख्य सड़क जो परिहार प्रखण्ड को जोड़ती है, सड़क पर अतिक्रमण के कारण सड़क छोटी पर गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क छोटी पड़ जाने के कारण हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुये आवागमन सुचारू रूप से चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

भवन निर्माण कराना

*1168. श्री अमीत कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुप्पी प्रखंड के सुप्पी थाना का अपना भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना का अपना भवन नहीं रहने के कारण पुलिसकर्मियों को व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे अपराध नियंत्रण पर कुप्रभाव पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सुप्पी थाना का अपना भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

आवास का निर्माण

*1169. श्री शिवचन्द्र राम--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत सहदेई एवं देसरी प्रखण्ड मुख्यालय में पदस्थापित प्रशासनिक पदाधिकारी का आवास नहीं रहने से उन्हें आवासित होने में कठिनाई होती है, और वे पटना में रहते हैं जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्डों के पदाधिकारियों का आवास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1170. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के पंचायत कनकपुरा के ग्राम बेहबुलडांगी में अवस्थित कब्रिस्तानों जिला प्रशासन के द्वारा कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु बनाये गये सूची में क्रमांक 229 एवं 258 पर अंकित है जिसके कारण कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1171. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड में स्थित महादेवा एवं परम बसंत कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुयी है जिससे कब्रिस्तान भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1172. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आरा (भोजपुर) जिला के चरपोखरी प्रखंड अन्तर्गत सियाडीह पंचायत के ग्राम-बगुसरा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1173. डॉ० अब्दुल गफुर--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अंतर्गत सत्तर कटैया प्रखंड के गोवरगढ़ा एवं सोनवर्षा प्रखंड के मगुंआर कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

थाना का दर्जा दिलाना

*1174. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया थाना को पूर्ण थाना का दर्जा नहीं दिये जाने के कारण प्रशासनिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है;

(2) क्या यह बात सही है कि बंजरिया थाना का प्रशासनिक कार्य तुरकौलिया थाना के अधीन है, जिससे अप्रिय घटना घटित होने के फलस्वरूप बंजरिया थाना से तुरकौलिया जाना पड़ता है, जिसकी दूरी 16 कि० मी० पर है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना को पूर्ण थाना का दर्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1175. डॉ० रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत सोनपुर प्रखंड के जहाँगीरपुर पंचायत के जहाँगीरपुर स्थित कब्रिस्तान एवं शिकारपुर पंचायत के छपरा थाना नं० 47 स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण उक्त कब्रिस्तानों की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

थाना स्थापित करना

*1176. श्रीमती गायत्री देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के प्रखंड परिहार पंचायत नरंगा उत्तरी, नरंगा दक्षिणी में थाना स्थापित नहीं है थाना की दूरी अधिक होने के कारण आपराधिक घटना बराबर होता रहता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार परिहार प्रखंड के नरंगा में थाना स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना

*1177. श्री नन्द कुमार राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के बरियारपुर पश्चिमी पंचायत अन्तर्गत बरियारपुर मलिकाना एवं बरियारपुर रूदल कब्रिस्तान का जमीन अतिक्रमण हो रहा है, जिसके कारण दो समुदायों के बीच तनाव बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

घेराबंदी कराना

*1178. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखण्ड अन्तर्गत भिठ्ठा धर्मपुर पंचायत के ग्राम-धर्मपुर में कब्रिस्तान अवस्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी नगण्य है, जिसके कारण भू-माफियों द्वारा धीरे-धीरे कब्रिस्तान का अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसे वहाँपर रह रहे लोगों को कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान को अतिक्रमणमुक्त कराते हुये घेराबंदी का कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

कब्रिस्तान को घेराबंदी

*1179. श्री सुनील कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा प्रखंड स्थित भासर मच्छहाँ दक्षिणी पंचायत के भासर बिन्द मोहल्ला में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने से दो समुदायों के बीच बराबर तनाव की स्थिति बनी रहती है,

यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---------

निर्माण कार्य प्रारंभ कराना

*1180. श्री सुनील कुमार--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत अल्पसंख्यक छात्रावास की स्वीकृति सरकार द्वारा वर्ष 2011 में प्रदान किया गया था, परन्तु विभाग द्वारा अभीतक छात्रावास का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित छात्रावास का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1181. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत पण्डौल थाना केस नं0 169/16 के अपहृत व्यक्ति बृज बिन्देश्वर प्रसाद सरकारी कर्मचारी हैं जिनको पुलिस खोजने में विफल है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वर्णित कांड का निष्पादन कराकर अपहृत के आश्रित को नियमानुसार सरकारी लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1182. श्रीमती अरुणा देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज प्रखंड के जमुआवाँ गाँव में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है, जिसके कारण कब्रिस्तान के जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

निर्माण कार्य कराना

*1183. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आरा (भोजपुर) जिला के गड़हनी प्रखंड अन्तर्गत बनास नदी के समीप SH-12 पर पुल के समीप श्मशान घाट अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि श्मशान घाट की घेराबंदी नहीं रहने के चलते असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिक्रमणकारियों से मुक्ति दिलाते हुये चहारदीवारी निर्माण कार्य करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

--------

आवास का निर्माण कराना

*1184. श्री सत्यदेव सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कुर्था विधान सभा क्षेत्र जिला अरवल के बंशी प्रखंड में पुलिसकर्मियों के रहने के लिये आवास का निर्माण जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद भी अभीतक नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना के पुलिसकर्मियों को रहने हेतु आवास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1185. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल प्रखंड के भुआलपुर उर्फ बहादुर पंचायत के मोहनपुर में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू कराना

*1186. श्री उमेश सिंह कुशवाहा--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महनार अनुमंडल के प्रखंड मुख्यालय महनार के प्रांगण में उप-कोषागार भवन का निर्माण किया जा चुका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उप-कोषागार, महनार को चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक । पूर्व में अनुमंडल स्तर पर कोषागार खोलने का निर्णय लिया गया था । परन्तु विगत एक दशक में कई प्रशासनिक निर्णय और तकनीकी विकास के कारण कोषागार के कार्य प्रणाली एवं संव्यवहार में काफी परिवर्तन हुआ है । वर्तमान में कोषागार के माध्यम से सभी तरह के वित्तीय संव्यवहार को CFMS प्रणाली द्वारा ऑनलाईन गया है । इस प्रणाली से सभी तरह के राजस्व ई-रिसिट के माध्यम से प्राप्त होंगे एवं ई-पेमेंट के माध्यम से लाभुकों के खाते में भुगतान सीधे ऑनलाईन किये जा सकेंगें । इस पूरी प्रक्रिया में आम जनता/लाभुकों को व्यक्तिगत तौर पर कोषागार जाने की आवश्यकता नहीं रह गयी है । इसलिये वर्तमान परिदृश्य में अनुमंडल स्तर पर कोषागार खोलने की आवश्यकता नहीं है । अत: महनार अनुमंडल में उप-कोषागार चालू करने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

--------

परीक्षाफल प्रकाशित करना

*1187. श्री भाई वीरेन्द्र--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 30 मई, 2019 को प्रकाशित शीर्षक "6 साल में भी तय नहीं हो सका 18 लाख छात्रों का भविष्य" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये कुल 13,500 पदों हेतु निविदा प्रकाशित किया गया था, जिसके उपरान्त नवम्बर, 2018 में आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में 18 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया, अभीतक आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित नहीं करने का क्या औचित्य है ?

--------

चालक एवं कर्मचारी देना

*1188. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के 30 लाख आबादी को अग्नि से सुरक्षा देने के लिये छोटी-बड़ी मात्र 18 गाड़ी उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सभी थानों में अग्निशमन गाड़ी आवश्यक सेवा हेतु रखने का दो साल पूर्व सरकार का निर्णय है ;

(3) क्या यह बात सही है कि जिला में अग्निशमन स्टेशन में संसाधन (चालक एवं सिपाही) के साथ-साथ कर्मचारियों का घोर अभाव है, जिसके कारण अग्नि कांड की सूचना मिलने पर घटना स्थल पर आवश्यक सेवा देने में काफी कठिनाई होतीं है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जिले के सभी थाना में छोटी एवं बड़ी गाड़ी सहित चालक एवं सिपाही का पदस्थापन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

क्राइम यूनिट स्थापित करना

*1189. श्री शिवचन्द्र राम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में साइबर अपराध और धोखाधड़ी रोकने के लिये 74 साइबर क्राइम एण्ड सोशल मिडिया यूनिट गठन करना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला में अपराध, धोखाधड़ी तथा आये दिन लूट, हत्या बलात्कार की घटनाओं से आमजन परेशान हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैशाली जिला में साइबर क्राइम यूनिट स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

प्रमाण-पत्र निर्गत करना

*1190. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नोनिया निषाद की तमाम उप-जातियाँ यथा नोनिया, केवट, क्योट, कैवर्त, अमात, बिन्द, बेलदार, चाँद, तियर, खुलवट, मुरयारी, सुरैहिया, मल्लाह, गोढ़ी, गोंद, बनपर, उरांव, खरिया, मुरहा, मुण्डा, माँझी, मझवार, गंगोता, गंगई, गणेश वगैरह को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने हेतु पूर्व सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को अनुशंसा 5 वर्ष पूर्व की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 4 वर्ष पूर्व निर्देश निर्गत किया गया है, लेकिन लोहार जाति की तरह नोनिया निषाद की सभी उप-जातियों को जनजाति का प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नोनिया/निषाद समाज की सभी उप-जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

---

केन्द्र का परिचालन

*1191. श्री यदुवंश कुमार यादव--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के छातापुर प्रखंडान्तर्गत ग्रा0 प0 डहरिया के कम्बल बुनकर केन्द्र में अच्छे किस्म का कम्बल उत्पादन होता था, जो विगत 27 वर्षों से बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त केन्द्र के बंद होने से इस उद्योग से जुड़े लोग बेरोजगार होकर घोर आर्थिक संकट से गुजारा करने को मजबूर हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त बंद कम्बल उत्पादन केन्द्र का परिचालन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है । डहरिया ग्राम पंचायत अन्तर्गत चकला कम्बल बुनकर औद्योगिक सहयोग समिति लिमिटेड, छातापुर एक निबंधित सोसायटी है, जिनके द्वारा पूर्व में कम्बल का उत्पादन किया जाता था । प्रारम्भ में यह संस्था खादी ग्रामोद्योग केन्द्र, सहरसा के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया था । इसके द्वारा तैयार कम्बल खादी भंडार खरीद कर विपणन करता था । इस केन्द्र के उत्पादन केन्द्र भवन एवं करघा की व्यवस्था जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा द्वारा कराया गया था । वर्तमान में उक्त कम्बल बुनकर औद्योगिक सहयोग समिति लि0 अवक्रमित है।

(2) अस्वीकारात्मक है । उक्त क्षेत्र में वर्तमान में कम्बल बुनने से जुड़े एक भी व्यक्ति नहीं हैं तथा किसी के पास लूम नहीं है । वे सभी अन्य व्यवसाय/रोजगार से जुड़े हुए हैं ।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त जिला में लूम का सर्वेक्षण कराया गया है जिसमें वहाँ एक भी लूम नहीं पाया गया है ।

(3) उपर्युक्त खण्ड (1) एवं (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

जमीन का अधिग्रहण करना

*1192. श्री शम्भू नाथ यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला में ब्रहम्पुर प्रखंड के नैनीजोर ओ0 पी0 प्राईवेट मकान में स्थापित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नैनीजोर थाना के लिये जमीन का अधिग्रहण कर थाना भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1193. श्रीमती एज्या यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत पटोरी प्रखंड के मेला रोड में कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं होने के कारण, अतिक्रमण तथा कानूनी विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

जनता को राहत दिलाना

*1194. श्री ललित कुमार यादव--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 29 जून, 2019 को प्रकाशित शीर्षक ''पीपा पुल बंद होने से गाँधी सेतु पर जाम, तीन घंटे लग रहे पार करने में'' को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि उत्तर बिहार को राजधानी से जोड़ने वाली एक प्रमुख मार्ग पर बने गाँधी सेतु को पार करने में आम जनता को जाम की वजह से तीन घंटों का समय लग रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त परेशानी से राज्य के उत्तर बिहार की जनता को राहत दिलाने के लिये कौन-सी व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

गिरफ्तारी करना

*1195. श्री उपेन्द्र पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत प्रखंड सन्हौला के ग्राम पंचायत तेन्हौधा के ग्राम-बनियड्डा की दलित महिला जिधिया देवी, पिता-श्रवण पासवान द्वारा दिनांक 29 अप्रील, 2017 की घटना की प्राथमिकी अनु0 जनजाति थाना भागलपुर में दिनांक 1 मई, 2017 को कांड सं0 13/17 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के तहत दर्ज कराया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 8 मई, 2017 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कहलगाँव द्वारा अनुसंधान किया गया और घटना को सत्य पाते हुये आवश्यक कार्रवाई कर उक्त थाना प्रभारी को गिरफ्तारी करने का आदेश दिया था, लेकिन अभीतक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त थाना कांड के अभियुक्तों को कबतक गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

--------

श्मशान शेड का निर्माण

*1196. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में हिन्दूओं को दाह-संस्कार करने के लिये गाँव, जिले एवं प्रखंडों में सरकार द्वारा श्मशान घाट का निर्माण नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के नौहट्टा एवं रोहतास प्रखंड के ग्रामीण दाह-संस्कार करने सोन नदी में जाते हैं तथा बारिस के दिनों में श्मशान शेड नहीं रहने के कारण दाह-संस्कार करने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंडों में दाह-संस्कार करने के लिये श्मशान घाट पर शेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*1197. श्री बिनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत, शेरघाटी के वार्ड नं0 18 में मंसूरी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार नगर पंचायत के वार्ड नं0 18 में स्थित मंसूरी कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-----------

पैनल बनाना

*1198. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि B.P.S.M. के विज्ञापन संख्या PR. No. 4946 (NI.NI) 2017-18, दिनांक 29 जुलाई, 2017 के द्वारा आई0 टी0 प्रबंधकों के संविदात्मक पद पर 150 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया गया था जिसे बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26 फरवरी, 2019 के आलोक में नये आरक्षण नियमों के अनुरूप पैनल निर्माण के लिए उक्त पैनल को रद्द कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36039/1/2019 & Estt-(Res), दिनांक 31 जनवरी, 2019 के कंडिका 6.2 में आरक्षण नियमों/रोस्टर के अनुरूप पैनल में EWS को समाविष्ट करते हुए नये सिरे से पैनल निर्माण की बात कही गई है, जिसके तहत B.P.S.M. द्वारा उक्त रद्द पैनल में शेष बचे अभ्यर्थियों का नये सिरे से पैनल निर्माण अबतक नहीं किया गया;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त रद्द पैनल के शेष अभ्यर्थियों का नये आरक्षण के अनुरूप नये पैनल का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है ?

-----------

एजेंसी से चयन कराना

*1199. श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकारी सेवाओं एवं पदों पर चयन हेतु विभिन्न आयोग यथा B.P.S.C. कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, पुलिस भर्ती आयोग एवं अन्य चयन आयोग कार्यरत हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में बिहार विद्युत् निगम लिमिटेड, राजस्व विभाग, प्रशानिक सुधार मिशन एवं अन्य विभाग में निजी एजेन्सी के माध्यम से चयन करवाकर सेवा में स्थाई एवं अस्थाई रूप से बहाल किया जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार के पास चयन आयोग के रहते निजी एजेंसी से चयन कराने पर कबतक रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-----------

भवन का निर्माण

*1200. श्री रत्नेश सादा--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखण्ड में वर्ष 1972 से जलय थाना कोसी बाँध के पश्चिमी तटबंध पर स्थापित है जो अत्यंत जर्जर भवन में चल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जलय थाना को जमीन उपलब्ध कराते हुए भवन निर्माण कराकर सुचारू ढंग से थाना का कार्य संचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*1201. श्री लाल बाबू राम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा प्रखंड के पंचायत दोनमा में स्थित कब्रिस्तान की जमीन का वहाँ के स्थानीय ग्रामीण अतिक्रमण कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

----------

कैमरा लगाना

*1202. श्री अशोक कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना शहर में 5 वर्ष पूर्व विभिन्न सड़कों में क्लोज सर्किट कैमरा लगाया गया था, जो अब फंगशनल नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि आमजनों को हर तरह से सुरक्षा प्रदान कराने एवं अपराधियों को काबू में लाने हेतु नये सिरे से एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम सर्किट कैमरा नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार के जनहित में आमजन की सुरक्षा एवं अपराध/अपराधियों पर काबू पाने हेतु एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम से युक्त क्लोज सर्किट कैमरा से हर सड़क को लैस कराने का विचार रखती है ?

------------

ओ0 पी0 थाना खोलना

*1203. श्रीमती बेबी कुमारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर के बोचहाँ प्रखंड अन्तर्गत ''उनसर'' तथा उसके आस-पास के लगभग 30,000 से 35,000 की आबादी वाले दस गाँवों की दूरी थाना क्षेत्र से 15 किलो मीटर है तथा बराबर वहाँ बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती हैं तथा भौगोलिक बनावट एवं रास्ता के दिक्कत के कारण ससमय ''उनसर'' पुलिस नहीं पहुँच पाती है एवं अपराधी अपराध करके आसानी से निकल जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार काली मंदिर के पास ओ0 पी0 का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*1204. श्री भोला यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अन्तर्गत फकिला एवं देकुली कब्रिस्तान की चारों ओर घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की जमीन पर विवाद रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

----------

मुद्रा लोन उपलब्ध कराना

*1205. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेरोजगार युवक को स्वरोजगार करने के लिए बैंक के माध्यम से 10 लाख तक की मुद्रा लोन बिना किसी जमानत का देने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ सहित पूरे राज्य में बैंकों के द्वारा मुद्रा लोन देने में असहयोग के कारण इस योजना का लाभ बेरोजगार युवक को प्राप्त नहीं हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मुद्रा लोन योजना को सफल बनाने एवं बेरोजगार युवक को रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य के सभी बैंकों को मुद्रा लोन उपलब्ध कराने का सरकार की ओर से निर्देश देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1206. श्रीमती एज्या यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत मोहिनउद्दीन प्रखंड के मोहिउद्दीन नगर, खान टोला कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं होने के कारण अतिक्रमण तथा कानूनी विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभवना हमेशा बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

घेराबंदी कराना

*1207. श्री अमीत कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनियाँ प्रखंड के बैरगनियाँ नगर पंचायत के भकूरहर के कब्रिस्तान पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1208. डॉ० अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखंड के लहुआर, तेलवा (अंग्रेजिया, पोरवड़) एवं सत्तर कटैया के लौकही कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा मुर्दों के दफनाने पर बाधा उत्पन्न किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

पुलिस चौकी स्थापित करना

*1209. श्री चन्द्रसेन प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखंड में पार्थु-मकदुमपुर रोड में मोड़ पर पुलिस चौकी की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2016-17 में हुआ था, परंतु अबतक पुलिस चौकी स्थापित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित स्थान पर पुलिस चौकी कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

उद्योग लगाना

*1210. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत समेली में मक्का की खेती अधिक होती है लेकिन मक्का आधारित उद्योग नहीं होने के कारण किसान मक्का को आधे-पौने दाम पर बेचते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में मक्का आधारित उद्योग लगाने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

------------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1211. श्री नौशाद आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड में पंचायत सखुहाठाली के ग्राम-धुलाबाड़ी तथा पंचायत डुमरिया के ग्राम-डुमरिया में अवस्थित कब्रिस्तान जिला प्रशासन के द्वारा कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु बनाये गये सूची के क्रमांक-517 एवं 533 पर अंकित होने के कारण उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होने के कारण लगभग एक चौथाई भाग पर अतिक्रमण हो गया है तथा कब्रिस्तानों में आवारा जानवरों का अड्डा भी बना हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*1212. श्री उमेश सिंह कुशवाहा--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर में सड़क एवं आधारभूत संरचना का अभाव है, यदि हाँ, तो सरकार हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क एवं आधारभूत संरचना का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

ट्रेजरी चालू कराना

*1213. श्रीमती अरूणा देवी--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज प्रखंड परिसर में Treasury भवन 1982-83 से निर्मित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मा० मुख्यमंत्री द्वारा माँग की गयी रिर्पोट के आधार पर जिलाधिकारी, नवादा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को रिपोर्ट सौंपा दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक Treasury चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1214. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड सोनो के ग्राम-कुसैय एवं मुसहराटांड में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों गाँवों में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

-------------

अभियान चलाकर भरना

*1215. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विभागों में स्वीकृत पद एवं कार्यरत सभी संवर्गों/कोटी के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी की कुल संख्या लगभग 7 लाख है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के स्वीकृत पदों के कोटि के विरुद्ध अनु० जाति एवं जन जाति वर्ग के सभी संवर्गों में आरक्षण का बकाया कोटा 20 वर्षों से 3,65,000 रिक्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी विभागों के सभी संवर्गों में रिक्त पड़े आरक्षण के बकाये कोटा को अभियान चलाकर भरने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-------------

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना :
दिनांक 15 जुलाई, 2019 (ई०)।

बि०स०मु० - 37 (एल०ए०), 2019-20 डी०टी०पी० -550